कार्यालय कलेक्टर,जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र.शासन,राजस्व विभाग

//प्रारंभिक अधिसूचना//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत,

खरगोन,दिनांक 3 / 10/2020

कमांक/ 149 /भू-अर्जन/2020

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	भीकनगांव	पछाया, पहनं.12	4.245	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,खरगोन	'' सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु''

-: अनुसूची (2) :-

'' सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु'' ग्राम- पछाया पहनं.12 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
2/2/2, 2/4/1, 2/7, 2/8, 2/15, 9/1/1/1, 9/1/1/2, 9/1/7, 9/1/2, 10/2/2, 11/1/2, 11/2, 14/1, 14/2, 16/4, 16/5, 16/6, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1/1, 20/1/2, 20/2/1, 20/2/2, 20/3, 23/2, 24/1, 24/2, 64/1, 161/3/2, 162	4.245

नोटः-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,रा0 एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुग्रहा पी)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन,राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)